लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक / वित्त / आडिट / 2016 / 32 भोपाल, दिनांक - 15-02-16

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

विषयः— शासकीय एवं अशासकीय निधियों से प्रदत्त अग्रिमों के समायोजन बाबत् ।

.....

विषयान्तर्गत विभाग के जिला कार्यालयों के महालेखाकार / विभागीय अंकेक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा में प्रायः सभी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में स्थानीय निधियों से दिये गये अग्रिमों एवं उनके समायोजन की स्थिति काफी चिन्ताजनक है । कुछ जिला कार्यालयों मे तो 20 से 25 वर्ष पुराने अग्रिम असमायोजित हैं ।

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के नियम 53 (4) तथा मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 1927 / 2001 / सी / 4 दिनांक 11.10.2001 के अनुसार शासकीय कर्मचारी से अग्रिम का समयोजन अग्रिम प्राप्त करने के दिनांक तक 03 माह तक अथवा वित्तीय वर्ष के अंतिम माह (मार्च) जो भी पहले हो तक अनिवार्यतः हो जाना चाहिए। यदि नियत अवधि के पश्चात अग्रिम राशि का समायोजन नहीं किया जाता है तो संबंधित कर्मचारी से अग्रिम राशि पर वही ब्याज वसूल किया जाएगा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सावधि जमा पर देता है।

जिला कार्यालयों स्थानीय निधियों (यथा परीक्षा,क्रीड़ा,रेडकास,स्काउट गाईड) का निरीक्षण करने पर पाया गया कि कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा नियत समयावधि में अग्रिमों का समायोजन नहीं किया जा रहा है जिससे अग्रिम वर्षो तक असमायोजित रहते हैं ।

अतः अति आवश्यक कार्यो के लिये अग्रिम प्रदाय करने के उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित करें :—

1— अपरिहार्य कारणों के आधार पर ही सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरांत अग्रिम स्वीकृत किया जावे । साथ ही अग्रिम पंजी का भी संधारण किया जावे जिसमें अग्रिम प्राप्तकर्ता का नाम, अग्रिम स्वीकृत करने का प्रयोजन, अग्रिम की राशि, चैक क्रमांक एवं दिनांक,यदि अग्रिम का समायोजन किया जा चुका है तो समायोजन की तिथी एवं समायोजित राशि के साथ ही सक्षम अधिकारी के लघु हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से अंकित कराये जावें ।

2– शासन निर्देशानुसार अग्रिम का समायोजन अग्रिम प्राप्त करने के तीन माह के भीतर अथवा वित्तीय वर्ष के अंतिम माह (मार्च) जो भी पहले हो तक अनिवार्यतः हो जाना चाहिए।

3– प्रायः यह भी देखा जा रहा है कि अग्रिम प्राप्तकर्ताओं द्वारा अग्रिम के विरूद्ध व्हाउचर्स संबंधित शाखा में प्रस्तुत करने के उपरांत भी अग्रिम का समायोजन प्रभारी अधिकारी/लिपिक द्वारा नहीं किया जा रहा है, यह स्थिति भी अत्यंत आपत्तिजनक है क्योंकि कालान्तर में व्हाउचर्स के अभाव में अग्रिमों का समायोजन लंबित रहता है । अतः व्हाउचर्स प्राप्त होते ही अग्रिमों का समायोजन प्राथमिकता के आधार पर किया जावे ।

4– स्थानीय निधियों का प्रयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिये किया जावे, जिनके लिये निधि निर्मित की गई हैं परन्तु अधिकॉश स्थानीय निधियों से दूरभाष,विद्युत देयक,डीजल एवं अन्य आकस्मिक व्ययों के भुगतान किये जा रहे हैं जो अनियमित हैं ।

5– अग्रिम प्राप्तकर्ता अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतर/पदोन्नति/सेवानिवृति पर (यथा स्थिति) न मॉग प्रमाण पत्र लेखा शाखा के अतिरिक्त अन्य स्थानीय निधियों के प्रभारियों से अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाकर ही न मांग प्रमाण पत्र जारी किया जावे यदि किन्हीं कारणोंवश अग्रिम वसूली/समायोजन नहीं हो सका तो अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में असमायोजित राशि का उल्लेख स्पष्टतः किया जावे ताकि स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति जैसी भी स्थिति हो, में संबंधित कार्यालय/संस्था द्वारा तद्नुसार कार्यवाही की जा सके । यदि अग्रिम का उल्लेख अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में न होने से वसूली/समायोजन लंबित रहता है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें अन्यथा अग्रिमों की वसूली आहरण वितरण अधिकारी के वेतन से करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा ।

अपर संचालक वित्त
लोक शिक्षण संचालनालय,म0प्र0

क्र./वित्त/आडिट/2016/33 दिनांक-15-02-16

प्रतिलिपिः–

1– संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय स्था0–1,2,3,4 एवं मुख्यालय के सभी अनुभागों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

अपर संचालक वित्त
लोक शिक्षण संचालनालय,म0प्र0